COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

-1-

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर,
(केम्प जबलपुर)

प्रकरण क्रमांक : R-2371-II/14 /2014

आवेदक — वसंत सिंह आत्मज द्वारका लोधी
निवासी– ईश्वरीखेड़ा, तह. शहपुरा (भिटौनी)
जिला जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदकगण — 1. प्रीतमलाल पिता मुटकाई सिंह
निवासी– ईश्वरीखेड़ा, तहसील शहपुरा (भिटौनी)
जिला जबलपुर
2. मध्यप्रदेश शासन, द्वारा–तहसीलदार,
शहपुरा (भिटोनी) जबलपुर

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू–राजस्व संहिता 1959

आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष अपर आयुक्त जबलपुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रं. 171–बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 06–06–2014 से परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण याचिका निम्नांकित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है :–

तथ्य :– प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :–

1– यह कि आवेदक के पूर्वजों द्वारा दिनांक 07–10–1966 को मौजा ईश्वरीखेड़ा में न.बं. 4, प.ह.नं. 54 ग्राम पंचायत गडरपिपरिया नई ग्राम पंचायत कैथरा में पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए ग्राम ईश्वरीखेड़ा की आबादी में मकान व बाड़ी क्रय की थी । जिसकी चौहद्दी विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से दर्शित है जो आवेदन के साथ संलग्न है । आवेदक विक्रय दिनांक से ही उपरोक्त मकान एवं चौहद्दी के अनुसार मालिक एवं काबिज है एवं वर्तमान में निवास एवं निस्तार एवं उपयोग करता है ।

...2

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार ...
07 JUL 2014
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

257

371

Basant singh

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 2371–दो/14 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–12–16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण कमांक अपील 171/बी–121/06–07 में पारित आदेश दिनांक 6–6–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकों के पूर्वजों द्वारा दिनांक 7–10–66 को मौजा ईश्वरखेड़ा में पंजीकृत विकयपत्र के जरिये आबादी में मकान एवं बाड़ी कय की गई थी, जिस पर वह काबिज है । अनावेदक के आवेदन पर तहसीलदार, शहपुरा द्वारा प्रकरण आवेदक के विरूद्ध दर्ज कर आवेदक को 1100/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए प्रश्नाधीन भूमि पर बेदखली का आदेश पारित किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की जो उन्होंने आदेश दिनांक 14–12–06 द्वारा निरस्त की । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गए । उन्होंने लिखित बहस भी पेश की है । 4/ अनावेदक प्रीतमसिंह के नियत तिथी को अनुपस्थित रहने के कारण उसे 7 दिवस में लिखित बहस पेश करने का समय दिया गया था किंतु उसके द्वारा आज दिनांक तक लिखित बहस पेश नहीं की	

R 2371-11/14 (उज्जैन)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गई है ।	
	5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस प्रकरण में रास्ता रोकने के आधार पर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आावेदन पर से विचारण न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है, जिसकी पुष्टि उभय अधीनस्थ न्यायालयों ने की है । अतिकमण की कार्यवाही में सीमांकन और स्थल निरीक्षण अतिकामक की उपस्थिति में किया जाना आवश्यक है जैसाकि न्यायदृष्टांत 1990 आर0एन0 185 में व्यवस्था दी गई है परंतु इस प्रकिया का पालन वर्तमान प्रकरण में नहीं किया गया है । इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 2002 (2) जे.एल.जे. 148 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 248 के उपबंध भवन या मकान पर लागू नहीं होते हैं, इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालयों ने अनदेखा किया है । दर्शित परिस्थिति में इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।	
	उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में विधिवत कार्यवाही कर तथा उभयपक्षों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देने के उपरांत विधिवत निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाता है ।	
	पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो ।	
	सदस्य	